बिहार विधान परिषद्

185वां सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग – 5

शुक्रवार, तिथि 03 चैत्र, 1939 (श.) / 24 मार्च, 2017 ई.

प्रश्नों की कुल संख्या – 15

1.	शिक्षा विभाग	-	-	11
2.	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	-	-	04
			कुल योग –	15

अप्रशिक्षित शिक्षकों का प्रशिक्षण

169. **श्री मंगल पाण्डेय** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में अबतक 100000 (एक लाख) से ऊपर शिक्षकों की नियुक्ति की गई है;

(ख) क्या यह सही है कि अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिये सरकार संकल्पित है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में जिला शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र (डोपर) खोलकर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अप्रशिक्षित शिक्षकों को निश्चित अवधि के अंतर्गत प्रशिक्षित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

अनुदानित कॉलेजों को अनुदान

170. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में इंटर एवं डिग्री स्तर के अनुदानित कॉलेज संचालित हैं, जिन्हें विगत् पांच वर्षों से अनुदान नहीं मिल रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि विभाग, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एवं विश्वविद्यालयों के अकर्मण्य क्रियाकलापों के कारण अनुदानित कॉलेजों का अनुदान बंद है, जिससे उन कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'ख' की स्थिति की जांच प्रक्रिया पूरी कर प्रभावित कॉलेजों को अनुदान देने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

फ्री वाई-फाई की सुविधा

171. **डा. संजीव कुमार सिंह** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सात निश्चय के तहत सभी विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में फ्री वाई-फाई की सुविधा दी गई है;

(ख) क्या यह सही है कि इस योजना से संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों को वंचित रखा गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार संबद्ध डिग्री महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं को फ्री वाई-फाई की सुविधा का कबतक लाभ देगी, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

आधारभूत सुविधाएं

172. **श्री कृष्ण कुमार सिंह** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में सरकारी स्कूल में ये मानक आवश्यक हैं – भवन, प्रधानाचार्य कक्ष-सह-कार्यालय, हर शिक्षक के लिए एक कक्ष, रैंप लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय, पानी की व्यवस्था, रसोईघर, बाउंड्री वॉल, खेल का मैदान आदि;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य में कुल 70 हजार 934 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें 7 हजार 98 स्कूल ऐसे हैं जिनके पास अपना भवन नहीं है, वहीं 789 स्कूलों में तो एक भी सुविधा नहीं है;

(ग) क्या यह सही है कि पटना में 252 उच्च विद्यालय हैं, इनमें से एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जहां सारी सुविधाएं मौजूद हों;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के छात्र-छात्राओं के शैक्षणिक, सुरक्षित वातावरण के लिए सभी सरकारी स्कूलों में उक्त सुविधाएं दिलाना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

स्टेडियम का निर्माण

173. **डा. दिलीप कुमार चौधरी** : क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के निकट ऐतिहासिक राज मैदान को स्टेडियम की शक्ल देने का सपना 1985 में देख गया था;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त स्टेडियम को साकार करने के लिए शिलान्यास भी किया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के निकट ऐतिहासिक राज मैदान को स्टेडियम के रूप में कबतक विकसित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

प्रेक्षागृह एवं आर्ट गैलरी का निर्माण

174. **श्री लाल बाबू प्रसाद** : क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार के पश्चिम चंपारण एवं पूर्वी चंपारण में कई तरह के सांस्कृतिक एवं ज्ञानवर्धक कार्य करने का आयोजन होता रहता है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त जिलों में आधुनिक एवं सुसज्जित ऑडिटोरियम नहीं है जिसके कारण शहरवासियों को सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार यह बतायेगी कि जिलों में प्रेक्षागृह-सह-आर्ट गैलरी के निर्माण की योजना है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

प्रधानाध्यापक की स्थाई नियुक्ति

175. **श्री केदार नाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राजकीयकृत बापू स्मृति मध्य विद्यालय, कंकड़बाग, पटना-20 में प्रधानाध्यापक का पद वर्षों से रिक्त रहने के कारण विद्यालय का पठन-पाठन, प्रशासनिक संचालन साथ ही विकास कार्य बाधित हो रहा है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ऐसे महत्वपूर्ण विद्यालय में प्रधानाध्यापक के रिक्त पद पर स्थायी रूप से प्रधानाध्यापक को शीघ्र पदस्थापित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

निबंधन रद्द कबतक

176. **श्री सतीश कुमार** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत मोतिहारी प्रखंड के बसंतपुर बड़ा टोला स्थित भुवन मालती शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज के छात्रों द्वारा कॉलेज में तालाबंदी की गयी थी;

(ख) क्या यह सही है कि फीस व मूल प्रमाण को लेकर छात्रों द्वारा आंदोलन जारी है, विभागीय अधिसूचना के अनुसार बी.एड. के छात्रों से 97 हजार शुल्क लिया जाना है, जबकि कॉलेज प्रबंधन द्वारा 2.50 लाख से तीन लाख रुपये लिए जाते हैं तथा मूल प्रमाण पत्र देने के एवज में परेशान किया जाता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो उक्त शिक्षण संस्थान द्वारा छात्रों से अवैध वसूली करने एवं मूल प्रमाण पत्र नहीं देने हेतु सरकार कॉलेज का निबंधन रद्द करने तथा छात्रों को हक दिलाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

भवनहीन विद्यालयों में भवन निर्माण

177. **श्री सूरज नंदन प्रसाद** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार में कुल 70934 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें 7100 विद्यालय ऐसे हैं जिनके पास देश की आजादी के 70 वर्षों बाद भी अपना भवन नहीं है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार इन भवनहीन विद्यालयों को अपना भवन कबतक मुहैया कराने का विचार रखती है?

दंड अधिरोपन

178. **श्री विनोद नारायण झा** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में कोचिंग इंस्टीच्यूट नियमावली 6 साल पूर्व लागू हुई है परन्तु अभी तक मात्र 233 कोचिंग संस्थानों का निबंधन हो पाया है, जबकि अकेले पटना एवं आस-पास के इलाके में एक हजार से अधिक कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, यदि हां तो क्या सरकार अनिबंधित कोचिंग संस्थानों की पहचान कर उन पर वित्तीय दंड अधिरोपित करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

कार्यालय के लिए जमीन

179. **श्री मो. गुलाम रसूल** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि मदरसा एवं संस्कृत बोर्ड के कार्यालय की अपनी जमीन नहीं है;

(ख) क्या यह सही है कि इन बोर्डों के कार्यालय की जमीन अपनी नहीं होने के कारण कार्यालय का विस्तार करने एवं कार्यों को सुचारु रूप से निपटाने में कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपरोक्त बोर्डों के कार्यालय के लिए जमीन उपलब्ध कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

न्यास का गठन

180. **प्रो. संजय कुमार सिंह** : क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि लखीसराय जिला के रामगढ़ चौक प्रखंड अन्तर्गत सतसण्डा गांव के किष्किन्धा पहाड़ पर विष्णु की प्राचीन प्रतिमाएं पौराणिक समय से स्थापित हैं;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त प्राचीन मूर्तियों का बिहार पुरातत्व निदेशालय के सर्वेक्षण दल के द्वारा कई बार सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त मूर्तियों का जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय द्वारा निरीक्षण किया गया और पहाड़ का भ्रमण कर शिविर भी लगाया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त मंदिर का धार्मिक न्यास परिषद् द्वारा कबतक गठन करना चाहती है?

आउटडोर स्टेडियम का निर्माण

181. **डा. उपेन्द्र प्रसाद** : क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि गया जिलान्तर्गत गुरुआ प्रखंड में आउटडोर स्टेडियम के निर्माण हेतु अंचलाधिकारी, गुरुआ के पत्रांक-26/सा., दिनांक 09.01.2014 द्वारा राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार खाता नं.-168, प्लौट नं.-374, थाना-689, भूखंड के संबंध में उप विकास आयुक्त को पत्र लिखा गया है;

(ख) क्या यह सही है कि अंचलाधिकारी, गुरुआ के पत्रांक-523, दिनांक 07.08.2014 के द्वारा समाहर्ता एवं अपर समाहर्ता, गया, अनुमंडल पदाधिकारी, शेरघाटी, भूमि सुधार, उप समाहर्ता, शेरघाटी को उपलब्ध जमीन का प्रतिवेदन देने के बावजूद आउटडोर स्टेडियम के निर्माण हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गयी;

(ग) क्या यह सही है कि अंचलाधिकारी, गुरूआ के पत्रांक – 696/सा., दिनांक 23.09.2014 द्वारा अपर समाहर्ता, गया को पुन: स्मारित किया गया;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जमीन उपलब्ध रहने के बावजूद आउटडोर स्टेडियम के निर्माण में विलंब हेतु जिम्मेदार पदाधिकारी पर कार्रवाई करते हुए स्टेडियम का अविलंब निर्माण कराएगी, यदि हां तो कबतक?

निलंबन मुक्त कबतक

182. **श्री राजकिशोर सिंह कुश्वाहा** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में प्राच्य इतिहास के अध्यक्ष डॉ. मदन मोहन मिश्र के निलंबन की तिथि को खत्म करने हेतु सीनेट द्वारा मंजूरी दी जा चुकी है और इसके लिए माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत भी किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि कुलसचिव द्वारा अबतक निलंबन से मुक्ति का आदेश निर्गत नहीं किया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि आदेश निर्गत नहीं होने के कारण शिक्षकों में रोष व्याप्त है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपर्युक्त निलंबन मुक्ति आदेश शीघ्र निर्गत करने का आदेश देना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

शिक्षकों को प्रोन्नति

183. **श्री सलमान रागिब** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि भागलपुर जिला में 2015 में मेरठ, मेघालय, कर्नाटक एवं चेन्नई स्थित कुछ दूरस्थ शिक्षा विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री पर 5 दर्जन शिक्षकों को प्रोन्नति दी गई थी, प्रोन्नति के आधार पर ये शिक्षक प्रधानाध्यापक बन सकते हैं, इससे इनका ग्रेड भी बढ़ेगा;

(ख) क्या यह सही है कि 2016 में इन्हीं दूरस्थ शिक्षा विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री प्राप्त शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं दी गई है;

(ग) क्या यह सही है कि एक ही विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्रियों पर विभिन्न वर्षों में प्रोन्नति देना और नहीं देना पक्षपाती रवैया प्रतीत होता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार भागलपुर में उपर्युक्त विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री पर शेष शिक्षकों को प्रोन्नति देना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

सुनील कुमार पंवार
सचिव
बिहार विधान परिषद्

पटना
दिनांक : 24 मार्च, 2017